05.08.2021

पीठासीन अधिकारी:– श्री अरविन्द कुमार जाखड़ आर.ए.एस.

उपस्थित:– श्री पवनगिरी सोडियार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री नारायण कुमावत अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक 05.08.2021

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 30/2010 बअनवान पेम्पा उर्फ पुष्पा बनाम सरूपाराम वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट वहस करते हुए निवेदन किया कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 463 रकबा 121.01 बीघा व खसरा संख्या 475 रकबा 27.08 बीघा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 463 रकबा 62.11 बीघा, खसरा संख्या 463/758 रकबा 58.10 बीघा व खसरा संख्या 475 रकबा 27.08 बीघा कुल रकबा 148.09 बीघा मौजा माडवा में आया हुआ है। जिसमें वादीनी का 1/2 हिस्सा है इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अपीलाधीन आराजी में ने तो वादीनी रेकर्डेड खातेदार है एवं न ही वादीनी का वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त रहा है तथा न ही वादीनी अधीनस्थ न्यायालय में अपने वाद के कथनों को प्रमाणित कर पाई है तथा वादीनी ने अपने वाद के समर्थन में स्वयं के व एक अजनबी व्यक्ति की साक्ष्य कलमबद्ध करवाई गई है जिससे वादीनी का का वाद किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है, साथ ही वादीनी ने अपने परिवार या सेढा पड़ौसी की साक्ष्य नहीं करवाई है तथा वादीनी स्व. फुसा की पुत्री या वारिशान है इस संबंध में कोई भी दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आंख बंद कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित की गई। अत:

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण किया गया। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 463 रकबा 121.01 बीघा व खसरा संख्या 475 रकबा 27.08 बीघा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 463 रकबा 62.11 बीघा, खसरा संख्या 463/758 रकबा 58.10 बीघा व खसरा संख्या 475 रकबा 27.08 बीघा कुल रकबा 148.09 बीघा मौजा माडवा में आया हुआ है। जिसमें वादीनी का 1/2 हिस्सा है। अपीलाधीन आराजी वक्त सेटलमेंट वादीनी के दादा राणा पुत्र मोती के नाम से दर्ज हुई थी। राणा की मृत्यु पर वादग्रस्त भूमि राणा के जायंदा पुत्र लाधू व फुसा के नाम राजस्व रेकर्ड में प्रत्येक का 1/2 हिस्सा दर्ज हुई। वादीनी पिता फुसा की मृत्यु संवत 2030 यानि आज से लगभी 36–37 वर्ष पूर्व हो गयी तव वादीनी की आयु 10 वर्ष थी। वादीनी की माता भी अनपढ थी इसका फायदा उठाकर अपीलांटगण ने अपीलांटगण के पिता ने फायदा उठाकर वादीनी के पिता के स्थान पर स्वयं लाधू का नाम नामांतकरण दर्ज करवा लिया जबकि फुसा की जायंदा पुत्री वादीनी व फुसा की पत्नी जिंदा थी इस प्रकार गलत रूप से अपीलाधीन आराजी को अपने नाम से दर्ज करवाया गया। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण के पिता द्वारा फुसा के मृत्यु के समय अधूरी वंशावली पेश कर अपीलाधीन आराजी को अपने नाम से गलत रूप से दर्ज करवा जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात EX-1 नामांतकरण पंजिका की प्रति में स्पष्ट साबित हो रहा है कि **"फूसा फौत उसके कोई जायंदा लड़का न होने से उसके अन्य भाई के नाम इन्द्राज हेतु।"** इससे साफ जाहिर होता है कि नामांतकरण की कार्यवाही के समय मृतक फुसा की जायंदा पुत्री को फुसा का वारिसान नहीं मानने में भूल की है। अपीलाधीन आराजी

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

वादीनी की पैतृक है तथा पैतृक भूमि में वादीनी के जन्म से उसका हक नियित हो गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन न्यायिक निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील को खारिज करना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः अपीलांट की अपील को सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 30/2010 बअनवान पेम्पा उर्फ पुष्पा बनाम सरूपाराम वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2020 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर